



कार्यालय पुलिस उपायुक्त गोमती ज़ोन, कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-29.06.2024

विषय:-थाना फूलपुर पुलिस ने दुष्कर्म के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्त को किया गिरफ्तार

श्रीमान् पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम, गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस उपायुक्त गोमती ज़ोन व अपर पुलिस उपायुक्त गोमती ज़ोन के पर्यवेक्षण में तथा सहायक पुलिस आयुक्त पिण्डरा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 29.06.2024 को थाना फूलपुर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर हनुमान मंदिर पुलिस के पास से मु0अ0सं0 162/2024 धारा 376,506 भावि व 67ए आईटी एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त विकास कुमार बिन्द पुत्र रामप्रवेश, नि0 ग्राम कुत्तुपुर अहिरौली, थाना नेवढिया, जनपद जौनपुर उम्र करीब 23 वर्ष को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने बताया कि मेरी पीड़िता से पिछले तीन वर्ष पहले से इन्स्टाग्राम के माध्यम से जान पहचान हुई, बाद में हमको एक दूसरे का नम्बर मिल जाने पर मोबाइल से भी बात चीत हो होने लगी, हम लोग एक दूसरे से प्यार करते थे तथा करीब 09 से 10 माह पूर्व बाबतपुर के पास होटल में मिले थे और एक दूसरे से शादी करने का वादा किये थे वही पर मैंने एक अपत्ति जनक वीडियो अपना और पीड़िता का बना लिया था। बाद में पीड़िता बात नहीं कर रही थी तो गुस्से में आकर वह वीडियो मैंने उसके भाई को भेज दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

विकास कुमार बिन्द पुत्र रामप्रवेश, नि0 ग्राम कुत्तुपुर अहिरौली, थाना नेवढिया, जनपद जौनपुर उम्र करीब 23 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग-1. मु0अ0सं0 162/2024 धारा 376,506 भावि व 67ए आईटी एक्ट भादवि थाना फूलपुर वाराणसी।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. नि0 कृष्णचन्द्र मिश्रा, थाना फूलपुर, कमिश्नरेट वाराणसी।
2. उ0नि0 मुनिशंकर वर्मा, थाना फूलपुर, कमिश्नरेट वाराणसी।
3. का0 अमित पुष्कर, थाना फूलपुर, कमिश्नरेट वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त, गोमती-जोन
कमिश्नरेट वाराणसी।